

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र./एनसी/ए/27/शि.पो.अप./2019/ 466  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01.10.2019

- (1) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,  
लोक शिक्षण,  
मध्यप्रदेश।
- (2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- खेलकूद शिक्षक श्रेणी-अ एवं ब/प्रयोगशाला शिक्षक एवं गायन/वादन शिक्षक श्रेणी-अ एवं ब के पदों पर नवीन संवर्ग में नियुक्ति के संबंध में।

:: 00 ::

स्थानीय निकायों के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कार्यरत सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक), सहायक अध्यापक (गायन/वादन) एवं सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला) को नवीन भर्ती नियम, 2018 में प्राथमिक शिक्षक के पदों पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है। नवीन भर्ती नियम, 2018 के अनुसार उपरोक्त पदों को क्रमशः खेलकूद शिक्षक श्रेणी-(अ), गायन/वादन शिक्षक श्रेणी-अ एवं प्रयोगशाला शिक्षक के पदों पर पदनाम संशोधन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना है तथा अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) की नवीन संवर्ग में खेलकूद शिक्षक श्रेणी-ब एवं अध्यापक (गायन/वादन) को गायन/वादन शिक्षक श्रेणी-ब तथा अध्यापक (उद्योग) को माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण द्वारा किया जाना है।

2/ नवीन भर्ती नियम, 2018 के अनुसार पदनाम संशोधन तथा की कार्रवाई हेतु एज्युकेशन पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण की लॉगिन आई.डी. में पदनाम संशोधन हेतु आदेश प्रारूप के साथ सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यूजर मैनुअल संबंधित अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त के अलावा अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) से खेलकूद शिक्षक श्रेणी-ब, अध्यापक (गायन/वादन) को गायन/वादन शिक्षक श्रेणी-ब एवं अध्यापक (उद्योग) को माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण की लॉगिन आई.डी. पर एज्युकेशन पोर्टल में सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तदनुसार संचालनालय के परिपत्र दिनांक 21.08.18 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(डी.एस. कुशवाह)  
अपर संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 01.10.2019

पृष्ठां क्र./एनसी/ए/27/शि.पो.अप./2019/ 467  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. श्री सुनील जैन, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. विन्ध्यांचल-भवन, भोपाल।
3. श्री सुमनकांत जैन, प्रोग्रामर, स्थानीय की ओर उक्तानुसार कार्रवाई समय-सीमा में पूर्ण करायें।

अपर संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश